निर्माणाधीन फैक्टरी लेंटर गिरा

एक मरा, दर्जनों मज़दूर घायल

फरीदाबाद (इंकलाबी मज़दूर केंद्र) 11 अक्टूबर को सेक्टर-24 के मेल्को स्टील एंड वायर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में हुए हादसे में एक मज़दूर की मौत हो गई और अनेकों मज़दूर घायल हो गये जिनका इलाज बीके अस्पताल में चल रहा है। फैक्टरी में निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें प्रबंधन ने पैसे बचाने के चक्कर में जुगाड़ू काम किया था, इसलिए छत की शटरिंग ही गिर गई और मज़दूर हादसे के शिकार हुए। इंकलाबी मजदूर केंद्र ने इस पर एक सभा का आयोजन बीके अस्पताल के पास किया। इस सभा में इंकलाबी मज़दूर के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मृतक व घायल मज़दूरों के परिवार वाले भी शामिल थे।

इस सभा में इंकलाबी मज़दूर केंद्र के नरेश ने कहा कि यह हादसा कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि लालच और स्वार्थ के कारण फैक्ट्री मालिकान एवं प्रबंधन ने स्वयं ही आमंत्रित किया है। इस हादसे के बाद वहां प्रशासनिक अमला पहुंच तो गया, पर उसका रवैया बेहद ठंडा और संवेदनहीन रहा। प्रशासन घंटों तक गैस कटर तक का इंतजाम नहीं कर पाया। राहत और बचाव कार्य के नाम पर प्रशासन सिर्फ़ खाना-पूर्ति में लगा रहा। घायलों को बीके अस्पताल में दाखिल करवाये जाने के बावजूद वहां उनका उचित इलाज नहीं हो पा रहा है। मामूली मरहम पट्टी करके घायलों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। घायलों के लिए अस्पताल में खाने-पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। घायल लोग बाथरूम आदि जाने से भी लाचार हैं। घायलों को एक्स-रे और अन्य तरह की जांच-पड़ताल की पर्चियां थमा कर इधर-उधर दौड़ाया जा रहा है।

सभा में मज़दूर केंद्र के कार्यकर्ता रोहित ने कहा कि अब इस तरह के हादसों का होना रोज की ही बात हो गई है। इन घटनाओं के पीछे सिर्फ़ मालिकों की लालच है। लखानी अग्निकांड, सिटी मार्केट हादसा और सीवर में सफ़ाई के लिए उतरने वाले कर्मियों की मौत, सब लगभग एक ही प्रकृति के हैं। इन सभी हादसों की एकमात्र वजह मालिकों की लालच है। मेल्को फैक्टरी हादसा भी इन्हीं की एक कड़ी है।

इन सभी हादसों में प्रशासन मालिकों एवं प्रबंधन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है और मालिकान साफ़ बच निकल जाते हैं।

सभा में हिस्सा ले रहे मज़दूरों ने भी अपनी बातें कहीं।

सभा के अंत में लोगों ने आम सहमति से प्रशासन के लचर रवैये और संवेदनहीनता के खिलाफ़ शहर में जुलूस निकालने और मुजेसर थाने पर प्रदर्शन करने का फ़ैसला लिया।

जुलूस बीके अस्पताल से शुरू होकर मुजेसर थाने पर पहुंचा और वहां सभा में तब्दील हो गया। जुलूस और सभा के दौरान मज़दूर ज़िला प्रशासन और मालिकानों के खिलाफ़ जोर-शोर से नारेबाजी कर रहे थे।

जुलूस में शामिल लोगों के उग्र रवैये एवं उनके आक्रोश को देख कर प्रशासन ढीला पड़ता जा रहा था। थाने पर लोगों की मुख्य मांग फैक्ट्री मालिक को गिरफ़्तार करने की थी, लेकिन मृतक मज़दूर के पड़ोसी कुछ छुटभैये नेताओं ने बीच-बचाव कर मृतक के परिजनों को लगभग डेढ़ लाख रुपये मुआवज़ा दिलवा दिया।

इंकलाबी मज़दूर केंद्र ने इस समझौते का विरोध किया और उसकी मुख्य मांगें अभी तक बनी हुई हैं -

1. मालिक को तुरंत गिरफ़्तार किया जाये और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो।

2. घायलों के इलाज़ और उनकी देखभाल की उचित व्यवस्था की जाये।

3. मृतक को दस लाख रुपये और घायलों को दो-दो लाख रुपये मुआवज़ा दिया जाये।

मज़दूर मोर्चा की टिप्पणी

क्या मालिकान स्वेच्छा से ऐसा करेंगे? हर्गिज नहीं। करना होता तो जब घटना घटी थी, तभी ऐसा हो जाता और इंकलाबी मज़दूर केंद्र को भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, न ही जुलूस निकालना पड़ता और न ही सभा करनी पड़ती। एक सामान्य प्रकिया के तहत मृतक मज़दूर के घर के सदस्यों को उचित मुआवज़ा अपने आप मिल जाता। साथ ही, मज़दूरों की सुरक्षा से खेलने के जुर्म में प्रशासन तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई करता। लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है, बल्कि जानबूझ कर बनाया गया है कि मज़दूर एक दम झुक कर चलता रहे।

उसे जानवरों से ज़्यादा सुविधा नहीं दी जाये। बस वह किसी तरह ज़िंदा भर रहे ताकि उनका काम कर सके और ज़िंदा भी नहीं रह पाता हो तो उनकी बला से। बाज़ार में अपना श्रम बेचने के लिए तैयार लोगों की कोई कमी नहीं है। हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। मज़दूरों के काम के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं। ठेका मज़दूरों की संख्या बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है जिनकी नौकरी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जैसे हालात दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें मज़दूरों के मरने-खपने की घटनायें बढ़ेंगी ही, कम तो नहीं होने वाली। आज मज़दूर अपना पेट पालने के लिए श्रम कर रहा है। जो पगार उन्हें मिलती है, उसमें पेट भर खाना मिल ही नहीं सकता। इस वजह से उसे गृह क्लेश का सामना करना पड़ता है। घर से फैक्टरी जाये तो वहां सुपरवाइज़रों की डांट खानी पड़ती है और काम से हटाने की धमकी मिलती है।

प्रशासन मज़दूरों के नहीं, मालिकों के पक्ष में है। उसके लिए मालिकों का पक्ष लेना स्वभाविक है। एक तो मालिकों वाली इस व्यवस्था को बनाये रखना उसकी जिम्मेदारी है, दूसरे इस बात को भी सुनिश्चत करना है कि मालिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। यह उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। इन स्थितियों में प्रशासन से कोई अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। रास्ता सिर्फ़ एक है कि मज़दूर संगठित हों, मालिक और मज़दूर की व्यवस्था वाले इस पूरे तंत्र को समझें और फ़िर हज़ारों-हज़ार की संख्या में सड़कों पर निकल जायें। यह स्थिति आने पर सचमुच शासन और प्रशासन के हाथ-पांव फूल सकते हैं।

यूनियन और प्रशासन में मिलीभगत

आज बड़ी मज़दूर यूनियनों और प्रशासन में मिलभगत हो चुकी है। बड़ी मज़दूर यूनियनों के नेताओं का जलवा देखते ही बनता है। कार से पांव ज़मीन पर नहीं आ सकते 'साहबो' के। जिस तरह प्रशासन को मज़दूर के हितों कोई लेना-देना नहीं है और वे पूरी तरह इनके प्रति संवेदहीन हो गये हैं, वही हाल बड़े टेड यूनियन लीडर का भी होता है। ये लीडरान मज़दूरों से चंदे के रूप में जमा किये गये धन से कारों में घूमते हैं और एक बेहतरीन जिंदगी जीते हैं। ये मालिकानों और प्रशासन के टहलुओं के रूप में काम करते हैं। कोई भी ट्रेड यूनियन लीडर कारखाने में काम करने की जगह अपने ऑफिसों में सोफ़ों पर विराजते हैं और अपने फ़ायदे के लिए तिकड़में भिड़ाने में लगे रहते हैं। इसलिए मज़दूरों और उनके सच्चे प्रतिनिधियों को यह कोशिश करनी चाहिए कि ये अलग-थलग पड़ जायें।

एशियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता

दस पूर्वी देशों के संगठन-एशियान के साथ भारत सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते पर 13 अगस्त को थाईलैंड में हस्ताक्षर कर दिया। यह समझौता जनवरी 2010 से लागू होगा। समझौते के अनुसार लगभग 4000 सामानों के आयात पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त कर दिया जायेगा। इनमें कॉफी, चाय, रबड़, कच्चा पॉम ऑयल और शुद्ध पॉम ऑयल आदि शामिल हैं।

2005 तक कच्चे पॉम ऑयल पर 80 फ़ीसदी, शुद्ध पॉम ऑयल पर 90 फ़ीसदी, कॉफी व चाय पर 100 फ़ीसदी तथा काग़ज़ पर 70 फ़ीसदी सीमा शुल्क देय था। पहले इन्हें घटा कर लगभग आधा कर दिया जायेगा और धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म कर दिया जायेगा। समझौते पर हस्ताक्षर के एक सप्ताह के भीतर ही इसके विरोध में आवाज़ें उठने लगीं। केरल के किसान संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों ने इस समझौते के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। किसानों-मज़दूरों के विरोध के चलते ही 303 कृषि उत्पादों को फ़िलहाल इस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए भारत को नौ सालों की मोहलत दी गई है। समझौते का विरोध कर रहे संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। उसने आश्वासन दिया था कि राज्यों से सलाह-मशविरा किये बगैर इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। लेकिन राज्यों से सलाह-मशविरा तो दूर, सरकार ने संसद में इस पर बहस चलाना भी जरूरी नहीं समझा।

सरकार इस समझौते को उत्पादकता और मुक्त प्रतियोगिता को बढ़ावा देने में सहायक और देश के विकास के लिए जरूरी बता रही है। सच्चाई यह है कि आज पूरे देश में ज़मीन की उर्वरता और उत्पादकता में जो गिरावट आ रही है, उसके लिए किसान नहीं, बल्कि सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं।

सरकार ने तो एक ओर खेती में रकारी निवेश और किसानों की सब्सिडी में कटौती कर के लगातार खेती की उपेक्षा की है, दूसरी ओर उन्हें देशी-विदेशी सरमायेदारों के हाथों लुटने-पिटने और तबाह होने के लिए छोड़ दिया है। इन नीतियों को बदले बिना क्या उर्वरता और उत्पादकता बढ़ाना संभव है?

जहां तक मुक्त प्रतियोगिता का सवाल है, एशियान देशों की कृषि व्यवस्था भारत से उन्नत है और वहां के किसानों को भरपूर सरकारी सहायता मिलती है। इके चलते विश्व बाज़ार में उनका माल सस्ता हो जाता है। हमारा देश इससे एकदम अलग है। यहां छोटी जोत वाले साधनहीन किसानों की बहुतायत है। ऐसे में उन देशों के साथ हमारे किसानों की प्रतियोगिता किसी पहलवान के साथ एक दुबले-पतले कमजोर आदमी की कुश्ती ही साबित होगी। किसानों को मुक्त प्रतियोगिता का लालच देकर रकार उन्हें मगरमच्छों के जबड़े में धकेल रही है।

विश्वव्यापी मंदी से उबरने के लिए सभी देश अपने पैदावार को दूसरे देशों के बाज़ार में बेचने के लिए उतावले हैं। अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए वे भरपूर सब्सिडी दे कर ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही, वे अपने देशी बाज़ार को बचाने के लिए आयात को लगातार कम करने की कोशिश में हैं। लेकिन हमारे देश के शासकों की नीयत और नीति ही कुछ और है।

वैसे भी भारत के पास निर्यात करने के लिए कुछ खास नहीं है। आज़ादी के बाद से ही हमें विदेशी व्यापार में घाटा होता रहा है।

इसका अर्थ यह है कि देश में निर्यात के मुकाबले आयात अधिक हुआ है। नयी आर्थिक नीतियों के बाद से तो स्थिति और अधिक विकराल हो गई है। इस दौरान मात्रा में तो विदेशी व्यापार बढ़ा है, लेकिन कुल मिला कर घाटे से निजात नहीं मिली है। संभव है कि इस समझौते के तहत अमेरिका आर्थिक संकट का बोझ कम करने का प्रयास करे। अमेरिका को अभी भारत में अपना सामान निर्यात करने के लिए सीमा-शुल्क देना पड़ता है। लेकिन इस समझौते द्वारा वह चोर दरवाजे से यानी एशियान देशों की मार्फ़त भारत में निर्यात कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र की वार्ताओं में अमेरिका और यूरोप अपने देश में आयात कर से सीमा-शुल्क घटाने और किसानों की सब्सिडी में कटौती करने को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, वे ग़रीब देशों पर दबाव बना रहे हैं कि उनके लिए ये देश अपने बाज़ार पूरी तरह खोल दें। इसका मकसद ग़रीब देशों के अनाज व्यापार पर अपना वर्चस्व कायम करना और वहां की खेती को तबाह करना है। इसीलिए दोहा चक्र की वार्ताओं में समझौता करने के लिए भारत सरकार पर लगातार दबाव पड़ रहा है। सरकार अपनी अमेरिकापरस्ती के चलते अमीर देशों के आगे घुटने टेकती जा रही है। कुछ वर्ष पहले लगभग 1400 वस्तुओं से आयात प्रतिबंध हटा कर, विश्व व्यापार संगठन से समझौता करके और एक-एक करके जनविरोधी नीतियां थोप कर सरकार पहले ही ग़रीब व मध्यम किसानों की कमर तोड़ चुकी है। एशियान देशों से मुक्त व्यापार समझौता इसी सिलसिले की एक कड़ी है।

दिनेश